मानव अधिकारक विश्वव्यापी घोषणा

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र

(मैथिली भाषा)

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)

पो.ब.नं २७२६, स्युचाटार, कलंकी

फोन न. २७०७७० २७८७७०, फ्याक्स न २७०५५१

मानव अधिकारक विश्वव्यापी घोषणा

(मैथिली भाषा)

भाषा अनुवाद

ढुनराज शर्मा पन्थी

सम्पादन/संयोजन

नरनाथ लुइँटेल

देवी बाँस्कोटा

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)

कलंकी, स्युचाटार- पोष्टबक्स नं २७२६

फोन नं. २७०७७०/२७८७७०

फ्याक्स नं २७०५५१

मानव अधिकारक विश्वव्यापी घोषणा
(मैथिली भाषा)

पहिलो संस्करण : ०५४ चैत

संख्या : ५ हजार

प्रकाशक : अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)

सर्वाधिकार : इन्सेकमा सुरक्षित

मूल्य : १०।-

मुद्रक :
फुलचोकी बुक्स एण्ड स्टेशनर्सका लागि
क्वालिटी प्रिन्टर्स

भूमिका

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ग्रामीण जनसमुदायका बीचमा मानवअधिकार शिक्षा र सचेतनता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा जुटेको एउटा मानवअधिकार संस्था हो। गाउँको अभावग्रस्त जीवनसंग संघर्ष गर्दै बाँचिरहेका ग्रामीण जनताको चेतनालाई उन्नत नबनाएसम्म मानवअधिकारको संरक्षण एवं विकास हुन सक्दैन। यो काम सचेत र संगठित प्रयत्नले मात्रै सम्भव छ भन्ने अवधारणामा इन्सेक कटिबद्ध छ र आफ्ना सबै क्रियाकलापहरू यसैतर्फ केन्द्रित गरेको छ।

मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ५० वर्ष लाग्यो। यो घोषणापत्रलाई इन्सेक आफ्नो मार्गदर्शक मान्दछ। "मानव परिवारका सबै सदस्यहरूको अन्तरनिहीत मर्यादा तथा समान र हरण गर्ने नसकिने अधिकारहरूको मान्यता नै स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधार भएकोले" भनी प्रस्तावनाको थालनीमा उल्लेख गरेर संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्वारा सन् १९४८ डिसेम्बर १० तदनुसार वि.सं. २००४ साल मंसिर २५ गते यो घोषणापत्र पारित भएको थियो। जनताको लागि आर्जन गरिएको यो घोषणापत्र मानव

जातिकै लागि अमूल्य सम्पत्तिका रूपमा रहेको छ। नेपाल यो घोषणापत्रको पक्ष राष्ट्र हो अर्थात् नेपालले पनि यसको कार्यान्वयन प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।

बिगत वर्षहरूमा मानव अधिकार घोषणा पत्रको के कस्तो सार्थकता रह्यो भनेर विश्व स्तरमै यसको समीक्षा र मूल्यांकन गर्न थालिएको छ। यसै क्रममा इन्सेकले पनि जनस्तरमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले घोषणापत्रको व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने विशेष कार्यक्रम तय गरेको छ। उक्त कार्यक्रम मार्फत् ग्रामीण तहका जनसमुदाय बीच छलफल गराउने, मानवअधिकार घोषणापत्रले प्रदान गरेका अधिकारहरू जनताको दैनिक व्यवहारमा के कति सार्थक रहन सक्केका छन् भनेर पहिचान गर्ने, कार्यान्वयनको तहमा रहेका बाधा र अड्चनहरू पहिल्याउने, तिनीहरूलाई हटाउनका निम्ति राज्य तथा जनस्तरबाट के कस्तो पहल एवं प्रयत्न हुनु पर्दछ भनेर निचोडमा पुग्न सहयोग पुऱ्याउने छ। यसले घोषणा पत्रको प्रचार प्रसारका साथै व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भए पनि सचेतनताको अभावमा आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न सक्दैनन्। आफ्ना हक अधिकार बारे सचेत र संगठित हुन यस किसिमको प्रयत्न फलदायी हुने आशा गरिएको छ।

यो वर्ष इन्सेक स्थापनाको १० औं वर्ष पनि हो। घोषणा पत्रको ५० औं वर्ष र इन्सेक स्थापनाको १० औं वर्ष प्रवेशको अवसर पारेर इन्सेकले नेपालमा प्रचलित लिम्बु, राई, तामाङ, गुरूङ, मगर, नेपालभाषा, अवधि, राजवंशी, भोजपुरी, मैथिली, शेर्पा र थारू जाति जनजातिका बाह्रवटा मातृभाषाहरूमा घोषणापत्रलाई रूपान्तर गरी यो रूपमा प्रकाशित गरेको छ। यस अतिरिक्त नेपाली र अंग्रेजी भाषामा पनि छुट्टाछुट्टै संस्करणहरू रहेका छन्। यसै क्रममा तयार गरिएको यो मैथिली भाषामा अनुदित मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र हो। यो घोषणापत्रलाई रूपान्तर गरी सहयोग पुऱ्याउनु हुने ढुनराज शर्मा पन्थी र जाति जनजाति अनुरूप चित्र परिमार्जन गर्ने नवराज भट्टलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै पुस्तक प्रकाशनको निम्ति संयोजन तथा सम्पादन गर्ने देवी बाँस्कोटा, नरनाथ लुइँटेल एवं कम्प्युटर टाइप सेटिङ गर्ने गीता माली पनि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।

०५४ चैत

सुशील प्याकुरेल

अध्यक्ष

मानव अधिकारक विश्वव्यापी घोषणा

सन् १९४८, १० दिसम्बरक दिन संयुक्त राष्ट्र संघक महासभाक निर्णय संख्या २१७ (III) द्वारा पारित तथा घोषित ।

प्रस्तावना

मानव परिवारक प्रत्येक सदस्यक अन्तर्निहित मर्यादा, सम्मान तथा अनिवार्य अनुपेक्षणीय समानताक अधिकारक मान्यता मात्रेटा स्वतन्त्रता, न्याय एवं शान्तिक आधार थिक ।

तैं,

मानव अधिकारक प्रति अवहेलना तथा अनादरक परिणाम सँ अशिष्ट व्यवहार सभ उत्पन्न भ' मानव जातिक मर्मके ठेस पहुँचवाक कारणें मानव जातिक धार्मिक आ वाक स्वतन्त्रताक संगहि भय तथा अभाव सँ छुटकरा भेटवाक चाही, से सर्वसाधारण जनताक प्रवल आकांक्षा थिक ।

तैं,

अत्याचार आ दमनक विरूद्ध आन कोनो उपाय नहि अपना' विद्रोह करब अन्तिम उपाय अछि से मनुष्य नहि सोचए एहि वास्ते मानव अधिकारके कानुनद्वारा संरक्षित होयव अत्यावश्यक अछि ।

तैं,

विभिन्न राष्ट्रक बीचमे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धक अभिबृद्धि करब अति आवश्यक अछि ।

तँ,

संयुक्त राष्ट्रक जनताद्वारा मूल मानवाधिकार, मानवक प्रतिष्ठा आ मूल्य तथा स्त्री-पुरूष सभक समान अधिकारक सगहिं सामाजिक प्रगति एवं जीवनक स्तर स्वतन्त्र रूपेँ सम्बन्धन कयल जेवाक प्रति विश्वास व्यक्त कयल गेल अछि ।

तँ,

सदस्य राष्ट्र सभ ई प्रतिज्ञा केलक अछि जे संयुक्त राष्ट्र संघक सहयोग सँ मूल मानवाधिकार आ मौलिक स्वतन्त्रता सभक प्रति विश्वव्यापी सम्मानक सम्वर्द्धन कयल जायत ।

तँ,

ई प्रतिज्ञा पुरा करबाक लेल एहि अधिकार आ स्वतन्त्रता सभक सम्बन्धमे साझा समझदारीक जानकारी राखब अत्यन्त आवश्यक अछि ।

एहि कारण सँ,

सदस्य राष्ट्र सभ आ ओहि राष्ट्र सभक नियन्त्रणमे रहल प्रादेशिक खण्डक जनतासभमे सेहो एहि अधिकार आ स्वतन्त्राक विश्वव्यापी आ प्रभावशाली मान्यता प्राप्त करबाक हेतु प्रत्येक व्यक्ति आ समाजक प्रत्येक अंगके एहि घोषणाके मोनमे राखि राष्ट्रिय आ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरपर उपदेश आ शिक्षाद्वारा श्रद्धा वढयाबाक प्रयत्न कयल जाय से, महासभा मानव अधिकारक विश्वव्यापी घोषणा के प्रत्येक जनता आ राष्ट्रक लेल साझा समझदारीसँ प्रभावशाली कार्यक रूपमे घोषणा करैत अछि ।

प्रत्येक व्यक्ति जन्महि सँ स्वतन्त्र होइछ, आ सभक अधिकार तथा सम्मान बराबरि छैक । ओ सभ विवेक आ सद्‌विचार सम्पन्न होइछ, तेँ सभके एक-आपसमे भ्रातृत्वक भावना रखवाक चाही ।

जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीति, राष्ट्र वा समाज, सम्पति, जन्म अथवा आन कोनो तरहक भेदभाव नहि क' प्रत्येक व्यक्तिके एहि घोषणामे उल्लेखीत अधिकार आ स्वतन्त्रता बराबरि होयत । एकर अतिरिक्त चाहे कोनो राष्ट्र स्वतन्त्र होय वा परतन्त्र । ओहिठामक नागरिक सभके राजनैतिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय आधारपर भेदभाव नहि कयल जायत ।

प्रत्येक व्यक्तिके जीवन यापनक स्वतन्त्रता आ आत्मसुरक्षाक अधिकार अछि ।

गुलाम वा दास वनाक' केओ ककरो नहि राखि सकैत अछि । दासत्व आ दास-दासीक व्यापार कोनो रूपें करब बर्जित कयल गेल अछि ।

कोनो व्यक्तिके शारीरिक यातना, निर्दयी, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड नहि देल जायत ।

कानूनक दृष्टिमे प्रत्येक व्यक्तिके व्यक्तिगत रूपमे मान्यता प्राप्त करबाक अधिकार होयत ।

प्रत्येक व्यक्ति कानूनक दृष्टिमे समान अछि आ विना भेदभावकेँ प्रत्येक कानूनक समान संरक्षणक अधिकारी होयत । एहि घोषणा-पत्रक उल्लंघन भेलापर पीडित पक्षके कानूनी संरक्षण पयबाक अधिकार अछि ।

सर्वोच्च अदालत

संविधान वा कानूनद्वारा देलगेल मौलिक अधिकार सभ ककरोद्वारा हनन भेलापर ओ योग्य अदालतमे उजुरी दँ अपन अधिकारक सुरक्षाक स्वीकृति कानूनद्वारा प्राप्त क' सकैत अछि ।

ककरो मनमानी ढंग सँ देश निकाला वा गिरफ्तार वा नजरबन्द नहि कयल जायत ।

कोनो व्यक्ति उपर लागल कोनो तरहक अपराधक आरोप विरूद्ध स्वतन्त्र आ निष्पक्ष अदालत सँ सुनवाइक हेतु प्रत्येक व्यक्तिके समान अधिकार छैक ।

खुलल अदालतक कानून अनुसार अपराधी घोषित नहि होएबाधरि दण्डनीय अपराधक आरोप लागल कोनो व्यक्तिके निर्दोष मानल जायत ।

यदि कोनो व्यक्तिद्वारा कयल वा नहि कयल गेल कार्यके ओहि समयके राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा अपराध नहि मानल जायत, त ओहन व्यक्तिके दोषी नहि कहल जा सकैत अछि आ कोनहुँ व्यक्तिके अपराध करैत कालक समयक कानूनद्वारा देल जायवला दण्ड सँ अधिक नहि देल जायत ।

कोनहूँ व्यक्तिक गोपनीयता, परिवार, घर वा पत्र व्यवहारक प्रति मनमानी हस्तक्षेप नहि कयल जायत । ककरो सम्मान तथा ख्याति उपर आक्रमण नहि कयल जायत । एहन आक्रमणक विरूद्ध प्रत्येक व्यक्तिके कानूनी संरक्षणक अधिकार अछि ।

प्रत्येक व्यक्तिके अपन देशक सीमाका भितर स्वतन्त्रतापूर्वक भ्रमण आ बसोबास करबाक अधिकार अछि ।

प्रत्येक व्यक्तिके अपन देश वा आन कोनो देश छोडवाक आ अपने देशमे वापस अयबाक पूर्ण अधिकार अछि ।

प्रत्येक व्यक्तिके आरोप सँ बचबाक लेल आन कोनो देशमे शरण लेबाक अधिकार अछि ।

संयुक्त राष्ट्र संघक उद्देश्य आ सिद्धान्तक विपरित कार्यसभ वा अराजनीतिक अपराध अभियोगक सम्बन्धमे एहि अधिकारके प्रयोग नहि क' सकैत अछि ।

प्रत्येक व्यक्तिके अपन देशक नागरिकता प्राप्त करबाक अधिकार अछि ।

कोनहुँ व्यक्तिके नागरिकता सँ बञ्चित नहि कयल जायत आ नागरिकता परिवर्तन करबाक अधिकार सँ सेहों बञ्चित नहि कयल जा सकैत अछि ।

कोनो जाति, राष्ट्रियता वा धर्मक भेदभाव विना वयस्क स्त्री आ पुरूष सभकें आपसमे विवाह करबाक वा परिवार स्थापना करबाक अधिकार अछि । विवाहक विषय, वैवाहिक जीवन तथा विवाह विच्छेदमे सेहो स्त्री-पुरूषक समान अधिकार अछि ।

स्त्री आ पुरूषक विवाह पूर्ण आ स्वतन्त्र सहमति सँ मात्र भ' सकैत अछि ।

समाजक स्वभाविक आ आधारभूत सामुहिक इकाई परिवार थिक आ प्रत्येक परिवारके समाज तथा राज्यद्वारा संरक्षण पयबाक अधिकार अछि ।

प्रत्येक व्यक्तिके व्यक्तिगत वा साझी भ' सम्पति रखबाक अधिकार अछि ।

कोनहुँ व्यक्तिक सम्पति मनमानी ढंगस जफ्त नहि कयल जायत ।

प्रत्येक व्यक्तिके विचार, मत आ धार्मिक स्वतन्त्रताक अधिकार छैक । एहि अधिकारक अन्तर्गत धर्म वा मत परिवर्तन करबाक स्वतन्त्रता सेहो अछि संगहि सार्वजनिक वा व्यक्तिगत रूपमे, अकेले वा समुहमे अपन धर्म वा मत, शिक्षा, आचरण, पूजा आ अभ्यासद्वारा प्रकट करबाक स्वतन्त्रता सेहो सम्मिलित अछि ।

प्रत्येक व्यक्तिके विचारक स्वतन्त्रता आ प्रकाशनक अधिकार अछि । आ बिना रोकटोक कें कोनो माध्यमसँ स्वतन्त्र मत प्राप्त करबाक अधिकार अछि ।

प्रत्येक व्यक्तिके शान्तिपूर्ण ढंगसँ सभा करबाक तथा संस्था खोलबाक अधिकार अछि ।

कोनहुँ व्यक्तिके कोनो संस्थाक सदस्य बनबाक लेल बाध्य नहि कयल जायत ।

प्रत्येक व्यक्तिके देशक शासनमे, प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्र रूपें चुनल गेल प्रतिनिधिद्वारा भाग लेवाक अधिकार अछि।

प्रत्येक व्यक्तिके अपन देशक सरकारी सेवामे कार्य करबाक अधिकार अछि।

जनताक इच्छा मात्र सरकार आ शासन व्यवस्थाक मूल आधार थिक। ई इच्छा सर्वव्यापी समान मताधिकारद्वारा समय-समयमे हों' बला निष्पक्ष निर्वाचनद्वारा अभिव्यक्त कयल जायत। ई निर्वाचन गोप्य आ स्वतन्त्र मतदानद्वारा कयल जायत

प्रत्येक व्यक्तिके समाजक सदस्यक हैसियत सँ सामाजिक सुरक्षाक अधिकार अछि। प्रत्येक व्यक्तिके आत्मसम्मान आ व्यक्तित्वक स्वतन्त्र विकासक लेल आवश्यक आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक सहयोग, राष्ट्रिय, अन्तरर्राष्ट्रिय, संघ-संस्था आ देशक साधन सँ उपलब्ध करबाक अधिकार अछि।

प्रत्येक व्यक्तिके कार्य करबाक, स्वेच्छा सँ सेवा करबाक हेतु उचित तथा अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होयत आ सभके वेराजगारी सँ सुरक्षा पयबाक अधिकार अछि ।

प्रत्येक व्यक्ति विना भेदभावक समान कार्यक लेल समान तनखा पाओत ।

कार्य कयनिहार प्रत्येक व्यक्ति आ ओकर परिवारक लेल मानवीय अधिकार अनुकूल गौरवान्वित आजीविकाक वन्दोवस्त होयत । ओकरा लेल उचित आ अनुकूल पारिश्रमिक तथा अन्य प्रकारक समाजिक संरक्षणद्वारा व्यवस्था कयल जायत ।

प्रत्येक व्यक्तिके अपन हक-हितक रक्षाक लेल ट्रेड युनियन स्थापना करबाक आ ओहिमे सम्मिलित होएबाक अधिकार होयत ।

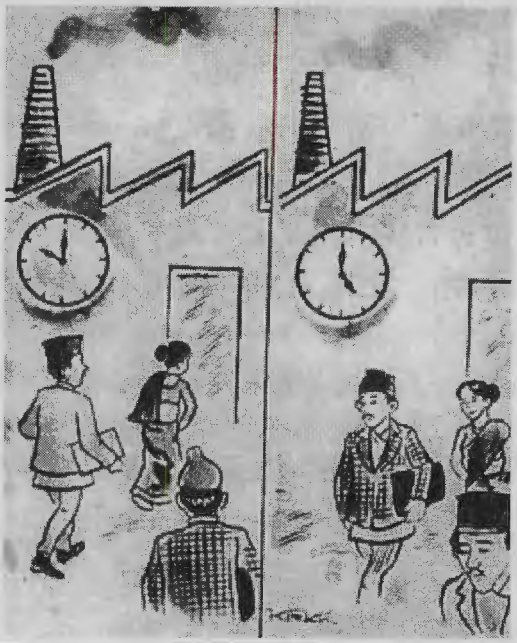

प्रत्येक व्यक्तिके सीमित अवधिक भितर कार्य करबाक संगहिं समय-समयपर सवैतनिक अवकाश आ विश्रामक समयक अधिकार अछि ।

प्रत्येक व्यक्तिके अपन परिवारक स्वास्थ्य आ कुशलताक लेल जीवनस्तरक अधिकार अछि । एहि अन्तर्गत भोजन, वस्त्र, घर आ औषधि उपचारक सुविधा तथा आवश्यक सामाजिक सेवा सभ सम्मिलित अछि संगहि प्रत्येक व्यक्तिके बीमारी, असमर्थता, विधवा, बृद्धावस्था वा परिस्थितिवश जीवकाक अभाव भेलापर सुरक्षा भेटतैक ।

मातृत्वकाल वा वाल्यावस्थामे रहल प्रत्येक मनुष्यके विशेष रेखदेख आ सामाजिक सहायता प्राप्त होयत । विवाहित वा अविवाहित स्त्रीक कोखि सँ जनमल सभ सन्तानके समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त होयतैक ।

क ख ग

प्रत्येक व्यक्तिके शिक्षा प्राप्त करबाक अधिकार अछि । शिक्षा कम सँ कम प्रारम्भिक तथा आधारभूत चरणक अवस्थामे निःशुल्क होयत । प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य अछि । प्राविधिक आ व्यवसायिक शिक्षा सर्वसुलभ होएबाक संगहि उच्च स्तरीय शिक्षा योग्यताक आधारपर प्राप्त करबाक अधिकार सभके समान रूप सँ उपलब्ध होयत ।

मानवक व्यक्तित्वक पूर्ण विकास आ मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताके मजवुत करबा दिश शिक्षाक प्रचार-प्रसार कयल जायत आ शिक्षाद्वारा राष्ट्र, जाति आ धार्मिक समूहबीच आपसी सद्भावना सहनशीलता तथा मित्रताक विकास करैत शान्ति कायम करबाक लेल संयुक्त राष्ट्र संघक प्रयत्न सभके आगु बढाओल जायत ।

माय-बाबुक प्राथमिक अधिकार छैन्हि जे ओ अपन बेटाबेटीके मनोनुकूल शिक्षा द' सकैथि ।

प्रत्येक व्यक्तिके स्वतन्त्रपूर्वक समाजक सांस्कृतिक जीवनमे भाग लेबाक, कलासभक आनन्द लेबाक तथा वैज्ञानिक विकास आ विज्ञानद्वारा प्रदान कयल गेल सुविधासभक उपभोग करबाक अधिकार अछि ।

प्रत्येक व्यक्तिके स्वयंद्वारा रचना कयल गेल कोनो वैज्ञानिक, साहित्यिक वा कलात्मक कृति सँ प्राप्त भेल भौतिक आ नैतिक उपलब्धिसभक संरक्षण करबाक अधिकार अछि ।

एहि घोषणापत्रमे उल्लिखित अधिकार आ स्वतन्त्रता पूर्णरूपसँ प्राप्त करबाक लेल प्रत्येक व्यक्तिके सामाजिक आ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाक अधिकार अछि ।

प्रत्येक व्यक्तिके समाजप्रति किछु कर्तव्यसभ होइछ, जाहि समाजमे रहिकय मात्र व्यक्तित्वक स्वतन्त्रता आ पूर्ण विकास सम्भव अछि ।

प्रत्येक व्यक्तिके अपन अधिकार आ स्वतन्त्रताक उपभोग करैत काल आन गोटेक अधिकार तथा स्वतन्त्रता प्रति सेहो आदर एवं मान्यता देव' पडत । आ प्रजातान्त्रिक समाजक नैतिकता, सार्वजनिक सुव्यवस्था आ सर्वसधारणक कुशलताक लेल उचित आवश्यकता सभ प्राप्त करबाक हेतु कानूनद्वारा वनाओल गेल व्यवस्थाक भीतर रहय पडत ।

ई अधिकार आ स्वतन्त्रता सभ संयुक्त राष्ट्र संघक सिद्धान्त आ उद्देश्य विपरित कोनहूँ परिस्थितिमे उपभोग नहि क' सकैत अछि ।

इन्सेक पुस्तक - ६३/०५४